संख्या-62/1870ई-2/तेरह-2021-1477442

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 सितम्बर, 2021

विषय- मेसर्स कैड हाऊसिंग प्रा.लि. रजिस्टर्ड आफिस 151-सविता विहार, दिल्ली-110092 द्वारा संचालित रेडिसन ब्लू होटल गाजियाबाद (ए यूनिट ऑफ कैड हाऊसिंग प्रा.लि.),एच-3, सेक्टर 14, कौशाम्बी, जनपद गाजियाबाद को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-44/दो-प्रा.डी. एम.बी.-2(11)/लघुयवासवनी दिनांक 10-09-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10-09-2021 मेंआप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स कैड हाऊसिंग प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस 151-सविता विहार, दिल्ली-110092 द्वारा संचालित रेडिसन ब्लू होटल गाजियाबाद (ए यूनिट ऑफ कैड हाऊसिंग प्रा.लि.), एच-3, सेक्टर 14, कौशाम्बी, जनपद गाजियाबाद को 240 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 84,000 लीटर वार्षिक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा:-

(1) उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

(2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु हेतु निर्गत कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 26-05-2021 में उल्लिखित शर्तें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) इकाई द्वारा स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में विहित व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(4) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।